**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) मौखिक प्रश्‍न सं. \*299**

**देश में राजमार्गों की खराब हालत**

**\*299. श्री अनिल देसाई:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एक ऐसा देश है जहां सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित इनकी हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और इनके प्रयोक्ताओं को बिजली, दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सीय सहायता, मरम्मत और सुरक्षा आदि जैसी क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और विशेषकर महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य क्या है और क्या यह लक्ष्य वर्ष-वार हासिल कर लिया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्माण की इस धीमी गति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्गों का कितना निर्माण कार्य किया गया है और ऐसी परियोजनाओं में निजी ठेकेदारों की कितनी हिस्सेदारी रही है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (ङ)** एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

**देश में राजमार्गों की खराब हालत के संबंध में श्री अनिल देसाई द्वारा दिनांक 28.07.2014 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा के मौखिक प्रश्‍न संख्‍या \*299 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**(क)** भारत विश्‍व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। मार्च, 2012 की स्‍थिति के अनुसार देश में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है।

यह मंत्रालय मुख्‍य रूप से राज्‍य सरकारों के अधिकार क्षेत्र वाले राष्‍ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के प्रति जिम्‍मेवार है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार देश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों को समय-समय पर उपलब्‍ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्‍य हालत में रखा जाता है।

**(ख)** राष्‍ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण का कार्य सड़क खंडों में शुरू किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्‍यम से विकसित और अनुरक्षित सड़क खंडों में क्रेन, एम्‍बुलेंस गश्‍त वाहन, मार्गस्‍थ सुविधाएं जैसी व्‍यवस्‍थाएं रियायत करार के भाग के रूप में रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाती है।

**(ग) से (ड.)** बीओटी के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्‍यम से निर्मित राजमार्गों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्‍न स्‍कीमों के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्‍यों और उपलब्‍धियों का वर्षवार ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:-

**(आंकड़े किमी में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **वर्ष** | **निर्माण का लक्ष्‍य** | **उपलब्‍धि** | |
| **कुल** | **बीओटी के माध्‍यम से** |
| 1. | 2011-12 | 5,824 | 5,013 | 1,905 |
| 2. | 2012-13 | 6,187 | 5,733 | 2,569 |
| 3. | 2013-14 | 6,330 | 4,260 | 1,751 |

लक्ष्‍यों की प्राप्‍ति में थोड़ी गिरावट भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्‍थानांतरण, पर्यावरण और वन स्‍वीकृति, रेल उपरि पुल के लिए अनुमोदन, कानून और व्‍यवस्‍था संबंधी समस्‍या तथा कुशल/अर्ध कुशल मानव शक्‍ति का अभाव और आर्थिक मंदी जैसी समस्‍याओं की वजह से आयी है। इसके अतिरिक्‍त कुछ परियोजनाएं वित्‍तीय व्‍यवस्‍था का लक्ष्‍य प्राप्‍त न कर पाने और निश्‍चित तारीख की घोषणा न किये जाने की वजह से शुरू नहीं हो पाई है।

परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन के लिए, भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्‍य महाप्रबंधकों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय स्‍थापित किए गए हैं और मुख्‍य महाप्रबंधकों को शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित की गई हैं । भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र किए जाने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें भी गठित की गई हैं । निर्माण-पूर्व कार्यकलापों में गति प्रदान किए जाने के लिए राज्‍य सरकार के मुख्‍य सचिवों को नोडल अधिकारियों के रूप में भी नामित किया गया है । परियोजनाओं की मुख्‍यालय तथा फील्‍ड यूनिट स्‍तर पर सघन और आवधिक समीक्षा भी की जा रही है । हाल ही में वन स्‍वीकृति से पर्यावरण स्‍वीकृति को अलग करने और ग्राम सभा से अनापत्‍ति प्रमाणपत्र की आवश्‍यकता से रैखिक खंडों को छूट देने के मुद्दों का समाधान कर लिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने रियायत करार के संदर्भ में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आश्‍वासित हद तक ऋणदाताओं को देय ऋण को सुरक्षित ऋण के रूप में मानने की छूट दे दी है । निर्माण के पूरा होने के पश्‍चात् अन्‍य इच्‍छुक खरीददारों को 100% इक्‍विटी के विनिवेश की अनुमति दी गई है और अधर में लटकी परियोजनाओं को बचाने के लिए वित्‍तीय व्‍यवस्‍था प्राप्‍त कर लेने के पश्‍चात् रियायतग्राही के प्रतिस्‍थापन की भी अनुमति दी गई है । भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दावों/विवादों के समाधान के लिए समझौता/सामंजस्‍य समाधान समितियों तथा उच्‍च स्‍तरीय विशेषज्ञ समाधान समिति का भी गठन किया है। इस सरकार ने हाल ही में ‘राजमार्ग परियोजनाओं के संदर्भ में रियायतग्राहियों द्वारा उद्धृत प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने के लिए नीति’ अनुमोदित की है जिसमें सभी परियोजनाओं जो ‘‘दबावयुक्‍त’’ हैं, के लिए प्रीमियम के पुन: निर्धारित किए जाने की अनुमति दी गई है ।

\*\*\*\*